(102)

न्यायालय श्रीमानू आयुक्त महोदय राजस्व मंडल म.प्र.ग्वालियर श्रृखला न्यायालय रीवा (म.प्र.)

निगरानी 2539-II-15

रविनाथ सिंह तनय उदयभान सिंह बाघेल उम्र 45 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम चंदवाही थाना व तहसील बहरी जिला सीधी (म.प्र.) -----पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. जग्यलाल तेली तनय बैजनाथ तेली उम्र 40 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम सिहौलिया थाना व तहसील बहरी जिला सीधी (म.प्र.)
2. छोटेलाल तनय बद्री तेली उम्र 53 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम सिहौलिया थाना व तहसील बहरी जिला सीधी (म.प्र.)3. -----गैरपुनरीक्षणकर्तागण

श्री..लोकेश सिंह एड. के द्वारा आज दिनांक 07-07-15 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश तहसीलदार तहसील बहरी के प्रकरण क्रमांक 11अ-5/2013-14

आदेश दिनांक 23.06.2014

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959

मान्यवर,

क्रमांक........
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक..........को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व ... ग्वालियर

।।पुनरीक्षण के सूक्ष्म तथ्य।।

1. यह कि आराजी ग्राम सिहौलिया तहसील बहरी जिला सीधी (म.प्र.) स्थित आराजी खसरा क्र.699/1 के पूर्व भूमि स्वामी गैरपुनरीक्षणकर्ता क्र.2 था जिससे पुनरीक्षणकर्ता 30.04.14 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर मौके से कब्जा प्राप्त कर लिया था, आवेदित आराजी में गैर पुनरीक्षणकर्ता क्र.2 का मकान भी बना था जिसे आवेदक क्रय नही किया था मकान गैर पुनरीक्षणकर्ता क्र.2 के अधिपत्य में है।

2. यह कि आवेदित आराजी का प्लाट तरर्मिम की कार्यवाही पूर्व में हो गई थी एवं आवेदित आराजी खसरा क्रमांक 699 का बटांकन भी मौके से अधिपत्य के आधार पर हुआ था जिसमें आराजी खसरा क्रमांक 699/1 गैर पुनरीक्षणकर्ता क्र.2 को प्राप्त हुआ

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.2534–II/15 जिला–सीधी

रविनाथ सिंह/जयलाल तेली

(1)	(2)	(3)
25.04.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	